किस्म..... उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

क्रमांक	फर्द अहकाम	
28/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उप० नहीं। जिससे प्रतीत होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचिहीन है। अतः सु० नि० 225/2 सि० प्र० कुर्क किया जाकर वादी की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में दाखिल हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested